(5) Maharani Vijayamala Rajaram Chhatrapati Bhonsale	12th February to 15th March, 1968 (Fourth Session).
(6) Shri M. S. Murty	12th February to 28th February, 1968 (Fourth Session).
(7) Shri V. Y. Tamaskar	12th February to 10th April, 1968 (Fourth Session).
(8) Dr. D. S. Raju	22nd November to 23rd December, 1967 (Third Session) and 12th February to 2nd March, 1968 (Fourth Session).
(9) Shri Brijraj Singh-Kotah	1st March to 18th March, 1968 (Fourth Session).
(10) Shri Viren Shah	4th to 28th March, 1968 (Fourth Session).
(11) Maharani Gayatri Devi of Jaipur.	25th November to 23rd December, 1967 (Third Session) and 12th February to 27th February, 1968 (Fourth Session).

SOME HON. MEMBERS : Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Leave is granted. The Members will be informed accordingly.

13.00 hrs.

ESTIMATES COMMITTEE

THIRTY-THIRD AND THIRTY-FOURTH REPORTS

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : I beg to present the Thirty-third and Thirty-fourth Reports of the Estimates Committee regarding action taken by Government on the recommendations contained in the Ninety-sixth and Ninety-seventh Reports of the Estimates Committee (Third Lok Sabha) on the Ministry of Transport and Shipping—Bombay Port (Parts I and II).

13.01½ hrs.

STATEMENT *RE* : ALLEGED SALE OF CARS BY CERTAIN M.Ps. CONTRARY TO STATUTORY ORDERS

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Prime Minister.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह अत्यन्त गंभीर मामला है। सब से पहले मैं यह जानना चाहता हूं किस प्रक्रिया और किस नियम के अनुसार प्रधान मंत्री जी यह वक्तव्य देने वाली हैं। क्या वह इस पर रोशनी डालेंगी ? उसके बाद जो कुछ मुझे कहना है, वह मैं कहूंगा। अगर आप भी बता दें कि आप ने किस नियम में उनको यह वक्तव्य देने की अनुमति दी है, तो फिर अधिक बोलने की जरूरत नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Rule 372.

श्री मधु लिमये : इसीलिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह वक्तव्य नियम 372 के तहत नहीं आ सकता है। इस के बारे में चार महीने पहले मैं ने नियम 222 के अन्तर्गत प्रिविलेज का सवाल उठाया था। उसके बाद स्पीकर साहब से इस विषय पर मेरी बात हुई। श्री मुदगल के बारे में जिस प्रक्रिया को अपनाया गया था, उन्होंने उस की ओर मेरा ध्यान दिलाया। कुछ संसद-सदस्यों द्वारा दो साल की कानूनी अवधि समाप्त होने से पहले मोटर कार बेचने के बारे में एक सवाल पूछा गया था। (व्यवधान)

श्री शिव नारायण (बस्ती) : माननीय सदस्य किस की वकालत कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे सदन की इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल